

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेडवा व मुकाम सेडवा

भंवर सिंह बनाम असात सिंह वगैरा

किस्म मुकदमा... राजस्व वाद मुकदमा नम्बर..... 128 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-------------------------------	---

10/10/24

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री... करनाराम कुडवसरा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा... 53, 198 RT Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... 18/12/2024 को पेश हो।

22/11/24

पत्रावली पेश हुई (वादी वकील उपस्थित)। वादी स्वयं उपस्थित। वादी वकील ने उर्ध्वता पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने का आदेश पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान सहर का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचरणीय है जिसकी आगामी पेशी तारीख 18/12/2024 को बुकर्स है। उक्त अनवान के प्रकरण में आवश्यक सुनवाई करने हेतु पत्रावली आज पेशी तारीख पर लेने का आदेश करमावे। वादी वकील के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वादी वकील ने उर्ध्वता पत्र वास्ते वाद विडो करने का आदेश पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के मध्य गांव के मौजिन व्यक्तियों ने शहीनामा करवा दिया है तथा उक्त वाद को हल आगे नहीं चलाना चाहते हैं। निवेदन है कि उक्त अनवान के प्रकरण को विडो करने का आदेश करमावे।

B:
अवेली
जव
KE



वादी वकील का प्रार्थना पत्र न्यायाद्वि में स्वीकार करने योग्य है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र मसूदा वाद विद्वा करने बानत का न्यायाद्वि में स्वीकार किया जाता है। अतः अनवान के प्रकरण की कारवाइ इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। फनावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। संख्या से एक कम हो।

✶